न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. अमरसिंह पुत्र अजमालसिंहजी जाति राजपूत निवासी दासपा हाल कोडी चौपावतान तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री आदूराम चौधरी
2. अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक –15.09.2020

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा कोडी चौपावतान में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.69 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1037 में आने जाने के लिए व कृषि कार्य के लिए जुताई का साधन,ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु कोई रेकर्डेड आम रास्ता स्थित नही है तथा प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ते आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त आराजी के दक्षिण पश्चिमी दिशा में सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म गै.मू. खारच की आई हुई हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1037 में आने जाने हेतु अप्रार्थी अर्थात राज्य सरकार की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नत्बर 1036 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म गै.मू. खारच में से 30 फुट चौडाई का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार परिशिष्ट अ में मार्क ए से बी स्थान तक लाल स्याही से दर्शित मार्क अनूसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1037 तक रास्ता दिये जाने के आदेश फरमावें। तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1037 में आने जाने हेतु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में गै.मू. खारच खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.45 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके सहारे भीनमाल से रानीवाडा हाइवे रोड है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। तथा विलायती बबूल की झाडिया खडी है। उक्त आराजी मौका फर्द में मार्क ए से बी तक रास्ता हेतु सरकार की कम भूमि देनी होगी। जिसकी वर्तमान सिचिंत डीएलसी दर 1470260 रूपये/हैक्टेयर तथा रास्ते हेतु 3[illegible] लम्बाई तथा 30 फीट चौडार्ड कुल क्षेत्रफल 900 फीट अर्थात 0.0100 हैक्टेयर ([illegible] वर्गमीटर) वर्गमीटर आराजी की आवश्यकता होगी। उक्त भूमि स्टेट हाइवे पर आती है जो 40 मीटर [illegible] सडक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 16:34:58 IST
Reason: SelfAttested

मध्य से आने पर उक्त भूमी रास्ता में स्वत चली जावेगी। उक्त भूमि खारच है जो दलदल के रूप में होती है।

3. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा कौडी चौपावतान के खाता संख्या 7 में खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.69 हैक्टेयर है। इसी ग्राम के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.45 हैक्टेयर सरकारी भूमि किस्म गै.मू. खारच स्थित है। जिसके पास भीनमाल रानीवाडा हाइवे सडक है। अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा की और से जवाब में खसरा नम्बर 1036 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। खसरा नम्बर 1036 रास्ते की लम्बाई 30 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है। प्रस्तावित खसरा की वर्तमान में सिचिंत डी. एल.सी. 1470260 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

4. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1037 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1036 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की में लम्बाई 30 फीट तथा चौड़ाई 30 फीट व कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है। जो आगे स्टेट हाईवे से जोडता है। खसरा नम्बर 1036 की डी.एल.सी दर 1470260 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि (900 वर्गफीट की डी.एल.सी. दर से राशि गुणा 2) के डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रार्थी से मंगवाकर राजकोष में जमा करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट नियमानुसार राजकोष में भुगतान करे तथा भुगतान कर प्रति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 1036 रास्ते में लम्बाई 30 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:58 IST
Reason: SelfAttested